



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38352

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2579/2026

डॉ. ऋचा कालरा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार दुबे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार दुबे और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को 21.02.2012 को एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी (महिला) के पद पर नियुक्त किया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ एक जाँच की गई थी। उसके बाद, जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता यू.पी. नीट पी.जी. 2025 में उत्तीर्ण हो गया है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से 'अनापत्ति' मांगी है, लेकिन उसे यह प्रदान नहीं की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम दूसरे प्रतिवादी, सचिव, स्वास्थ्य, अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा किया जाना चाहिए।
5. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
6. विरोधी पक्षों के निवेदनों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ, दूसरे प्रतिवादी के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है; दूसरा प्रतिवादी, अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा। यदि दूसरे प्रतिवादी की यह राय है कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, तो संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।
7. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार किया है।
8. उपर्युक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”